

जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा तक 33 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू

पायनियर समाचार सेवा | नोएडा



नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। इसके लिए फरीदाबाद से जेवर तक 33 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे का रूट चिन्हित करने के लिए राजस्व विभाग और नेशनल हाईवे अधिकारी ने शनिवार को खेतों में पिलर गाड़े हैं। दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण करने के लिए किसान नई मुआवजा दर्ता मार्ग रखे हैं।

किसानों का कहना है कि अगर मुआवजा बढ़ा दिया गया तो एक्सप्रेसवे के लिए जिसने देने में भी कोई परेशानी नहीं है। हालांकि, अभी मुआवजा दरों को लेकर पैच फसा हुआ है। राजस्व विभाग के अफसोसों का कहना है कि नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सबसे पहले जिसने चिन्हित की जा रही है। इसके

बाद पेड़, पौधे, मकान, द्युवेल बोरिंग और दूसरे आधारभूत ढांचे का बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से किसानों की सहभागी मिलते ही मरीजों से जिसने का समतलीकरण करना होगा। इसके बाद एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह एक्सप्रेस

कुल लंबाई 33 किलोमीटर होगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रमाला परियोजना के तहत नए एक्सप्रेसवे को मजबूरी दी है। इसके करीब 4 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा राज्य में है और उत्तर प्रदेश के गोतमगढ़ नार जिले में केवल 9 किलोमीटर हिस्सा है।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे भी आपस में इंटरचेंज के जरिए जुड़ेंगे। फरीदाबाद से जेवर की ओर अते हुए 30 किलोमीटर माइलस्टोन पर यह इंटरचेंज बनाया जाएगा।

नए एक्सप्रेसवे के लिए जेवर

इलाके के बलांगनार उर्फ कारोंल बांगर, दशानपुर, फलौदा बांगर, फलौदा खादर, अमरपुर पलाका और करीली बांगर गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे दरों पर यह गोतमगढ़ नार जिला प्रशासन और एक्सप्रेसवे के लिए बदल सप्तप्रवेश का निर्माण किया जाएगा। यह एक्सप्रेस

जमीन मुआवजें को लेकर राज्य सरकार लेणी फैसला किसानों के मुआवजे से जुड़ी प्रक्रिया उच्चाधिकारियों और शनिवार के सज्जन में है। किसानों में राज्य सरकार फैसला करेगा। जल्दी ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा।

डेवलपमेंट अधिकारी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हाईअड्डे के लिए पूरे दिल्ली-एनसीआर के शहरों से कोनेक्टिविटी तैयार कर रहा है। इसी सिलसिले में जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसपर फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और मेवात के इलाके सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे। इसी तरह जेवर वे बन रहे इस अंतरराष्ट्रीय हाईअड्डे के लिए नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, बतायूं बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनगर, सोनीपत, पानपत, बिजनौर और मुगादाबाद से कोनेक्टिविटी दी जा रही है।

नए एक्सप्रेसवे के लिए जेवर इलाके के बलांगनार उर्फ कारोंल बांगर, दशानपुर, फलौदा बांगर, फलौदा खादर, अमरपुर पलाका और करीली बांगर गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे दरों पर यह गोतमगढ़ नार जिला प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत चल रही है।

शनिवार को भी किसान और प्रशासन के बीच बातचीत हुई है। शनिवार को 60 मीटर चौड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए खेतों में पिलर गाड़े गए हैं। जिसकी घोषणा जल्दी ही लाखनऊ से होगी। राजस्व विभाग ने कंक्रीट के पिलर गाड़े गए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सीमा का निर्धारण किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो परियोजना को वित्त मंत्रालय की मंजूरी



पायनियर समाचार सेवा | नोएडा

● मेट्रो नोएडा के सेक्टर-51 से शुरू होकर नॉले एक्सप्रेसवे तक जाएगी

नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच मेट्रो चलाने की योजना एक कठम और आगे बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। मेट्रो चलाने की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से मंजूर दी गई है। अब कठम काइल कंट्रीट्रैक बैनर भी गई है।

होगी। वहले चरण में नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-2 तक मेट्रो चलेंगे। जिसमें पांच स्टेशन होंगे। इनमें नोएडा के सेक्टर-122 और सेक्टर-123 स्टेशन हैं। जबकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के क्षेत्र में सेक्टर-4, इंकोटेक-12 और सेक्टर-2 में स्टेशन बनाए जाएंगे।

इस लाइन पर मेट्रो नोएडा के क्षेत्र के नॉले एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है। अब कठम काइल कंट्रीट्रैक बैनर भी गई है।

पीआईवी ने इस रूट की संस्थानी करते हुए फाइल की मंजूरी के लिए एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

अगर इस महीने कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद एनएमएसी इसके निर्माण के लिए एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है। अब कठम काइल कंट्रीट्रैक बैनर भी गई है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

वृक्षारोपण और मल-जल शोधन संबंधी की अपर्याप्ति शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप विवरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लागतार नुसार हो रहा है। अधिकारण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एक गोयत्री की पीठ पर विचार किया जाएगा।

अधिकारण ने पूर्व में समिति का गठन किया था, जिसमें ग्रामीण प्रदूषण के लिए एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है। अब कठम काइल कंट्रीट्रैक बैनर भी गई है।

1,376 आवास काशीशम योजना के तहत हैं तथा 1,292 आवास गंगा, यमुना और हिंड अपर्याप्त योजना में संकीर्ण हैं। उक्त योजनाओं में से किसी में जल-मल शोधन करने के लिए कम से कम तीन महीने का समय दिया जाएगा। ऐसे में दिवाली के आसपास काम शुरू हो सकता है।

वृक्षारोपण के लिए एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो नोएडा वेस्ट की संस्थानी रोड डेंटरी में संस्थानी लोगों को होगी। यह एक्सप्रेसवे के बीच बातचीत चल रही है।

पहलवानों के समर्थन में जुटी 250 खाप पंचायतें

चार महिला संगठनों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन का किया आवान, प्रदर्शनकारियों ने निकाला कैडल मार्च

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

जंतर-मंतर पर भारतीय कुशी संघ के अध्यक्ष और भजपा समाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।

करीब दो हजार से धरने पर बैठे पहलवानों को लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ खाप पंचायत का भी समर्थन मिल रहा है। इसी काढ़ी में देशभर की 250 खाप पंचायतें और किसान रविवार को पहलवानों के समर्थन में दैरें। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। वहाँ धरना स्थल की ओर आने वाले रासों और सीमाओं पर विरकिंडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पहलवानों के समर्थन रविवार खाप पंचायतों के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बड़ी संख्या में



समर्थकों के साथ जंतर-मंतर पर कैडल मार्च निकालते प्रदर्शनकारी पहलवान।

किसान दिल्ली पहुंचे लोकन उड़े सीमाओं पर रोका दिया। पुलिस द्वारा जिन गाड़ियों को रोका गया है उनमें किसानों के छाड़े लगे हैं।

रोक जाने को लेकर किसान छाड़े के साथ नरेवाजी करते लगे। टीकरी बांडर इसके चलते एक तरफ

खिलाड़ियों को पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अत्यथा सभी खांपे पहलवान बैटियों के लिए अपराध लड़ाई लड़ेंगे।

अखिल भारतीय नगरवादी महिला समिति, भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन, अखिल भारतीय महिला संस्कृति के संगठन और अखिल भारतीय अग्रामामी महिला संस्कृति ने धरना दे रहे पहलवानों के साथ एकजुटा व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में सेकंडरी विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। भजपा के महिला विरोधी चेहरे को उडाग करने के लिए महिलाएं गांवों, बसिटियों और मोहल्लों में बैठके करंगी। लाल्हा हस्तांधिकरियों के माध्यम से विधायिकों को भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश सभूत नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप भजपा के प्रवक्ता लगा रहे हैं, वे ही आरोप सीबीआई-ईडी की चार्जशीट में हैं।

लेकिन, कोई भी आरोप अदालत में नहीं टिका। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली आवाकारी नीति मामले में राउड एवेन्यू कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि दिल्ली में कोई शराब घोयाला नहीं हूआ है। रिश्तत या मरी लॉन्डिंग का कांग ठोस सबूत नहीं है।

अदालत के आदेश से भाजपा और विरोधाभारी माना है। इस संबंध में सूखा गवाह या किसी हवाला आपराद के फोन से किसी भी प्रकार पार्टी को बदनाम करना है।

दूसरी ओर, कैविनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कांकड़ के साथ विशेष योग्यता विवाद में आयोगी विवाद में विरोधपत्र नेता एवं कैविनेट मंत्री अतिशी ने कहा कि इस मामले में गिरफतार राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी है।

उन्होंने दावा किया कि कोर्ट ने 85 एज और आदेश में भाजपा और सीबीआई-ईडी द्वारा लगाए गए 100 कोरेड रुपए के घोयाले के आरोप को मनग्रहित बताया है। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में करने का आरोप भी कोर्ट में धराशायी हो गया है। उन्होंने दावा कि पिछले एक साल से भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉर्फेस कर बार-बार दिल्ली में शराब घोयाला

होने का आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप भजपा के प्रवक्ता लगा रहे हैं, वे ही आरोप सीबीआई-ईडी की चार्जशीट में हैं।

लेकिन, कोई भी आरोप अदालत में नहीं टिका। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली आवाकारी नीति मामले में इंडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा के विवादों को जेल अवधि बढ़ रही है। अदालत के आदेश से भाजपा और विरोधाभारी माना है। इस संबंध में सूखा गवाह या किसी हवाला आपराद के फोन से किसी भी प्रकार पार्टी को बदनाम करना है।

नई दिल्ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीन्द्र सचदेवा ने कहा है कि हवाला घोयाले, शराब घोयाले, दिल्ली जल बोर्ड घोयाले के बाद राज मल्होत्रा घोयाले में भी कैजरीवाल सकार की पोल खुल गई है। इसने आम आदमी पार्टी के गोली राजनीतिक हवाला घोयाले जा रही है। सचदेवा ने कहा कि जैसे-जैसे पूर्व मत्रियों सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन को जेल अवधि बढ़ रही है, स्वयं कैजरीवाल एवं मंत्री अतिशी जैसे उनके सहयोगियों का भी जेल जाने का डर सता रहा है।

लेकिन, कोई भी आरोप अदालत में नहीं टिका। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में कोई शराब घोयाला नहीं हूआ है। रिश्तत या मरी लॉन्डिंग का कांग ठोस सबूत नहीं है।

लेकिन, कोई भी आरोप अदालत में नहीं टिका। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली आवाकारी नीति मामले में इंडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा के विवादों को जेल अवधि बढ़ रही है। अदालत के आदेश से भाजपा और विरोधाभारी माना है। इस संबंध में सूखा गवाह या किसी हवाला आपराद के फोन से किसी भी प्रकार पार्टी को बदनाम करना है।

नई दिल्ली। कॉर्ग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद कैजरीवाल के सरकारी अवास पर

खर्च रुपए के अतिरिक्त घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द्वारा किया कि इसे जैविक घोयाल के आवाकारी विवाद में आयोगी परिवार के विवाद के आदेश से भाजपा और सीबीआई-ईडी के मुख्यमंत्री अवास पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को उन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त घोयाल के बारे में बताया है।

ध्वनि द

अशोक अरोड़ा दोबारा बने सिद्धपीठ श्रीहनुमान मंदिर के प्रधान

पायनियर समाचार सेवा | फरीदाबाद

पावन सिद्धपीठ श्रीहनुमान मंदिर-1

बी ब्लॉक में जनल बॉली की बैठक का आयोजन रविवार को मंदिर प्रांगण में किया गया। जिसमें मंदिर कमेटी के प्रधान को लेकर चर्चा की गई। बैठक मंदिर के सरपरस गोवर्खी लाल कुमार, हरिओम, रामपाल शर्मा की अध्यक्षता में की गई। इसमें मुख्य रूप से 65 सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में सर्वसमिति से पावन सिद्धपीठ श्रीहनुमान मंदिर-1 बी ब्लॉक के

प्रधान अशोक अरोड़ा को आगते दो वर्ष के लिए पुरा प्रधान बनाया गया।

सलाहकार समिति की ओर से राकेश दीवान एवं नवजीवन गोंसाई, विपिन कुमार की देखेख वे यह सारी कार्रवाई हुई। सभी ने एकत्र होकर अशोक अरोड़ा के कार्यकाल की जमकर तरीफ की और कहा कि बैठक वर्षों में उनकी अध्यक्षता में मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का सुन्दर आयोजन किया। अधिक से अधिक संख्या में शहर के गणानाम् व्यक्तियों को मंदिर से जोड़ा गया। सलाहकार



बैठक में भाग लेने पदाधिकरी।

समिति व संस्था के संपर्क ने उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की।

पदाधिकरियों, संरक्षक, सलाहकार समिति के सभी सदस्यों का आधार व्यक्त किया और कहा कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है, उपके पूरी ईमानदारी एवं निष्ठक्षता से पूरी करें। जिस प्रकार बौते वर्ष मंदिर में सास्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों की धूम रही। हमारी कोशिश होगी कि मंदिर के साथ शहर के गणानाम् लोगों को जोड़ा जाए, ताकि मंदिर की ओर सुन्दर एवं धार्मिक रूप प्रदान करने में अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सके।

मीटिंग में मुख्य रूप से नवजीवन

गोसाई, राकेश दीवान, सुन्दें अरोड़ा, पवन कुमार, हरीश, मनोज विरामाल, विजय कंठा, रमेश बत्रा, मनोहर नागपाल, दीपक सुधीजा, तरुण, सोनू नागपाल, मोनू नागपाल, दिनेश, कमल, विनोद, गणेश, कमल सेठी, सचिन, धीरज, हरीश, संजय, गोवर्धन कुमार, हेतु, विपिन, सतीश, मन, जिंदें, आशु, सोनू, सत प्रकाश, हरिओम, गोवर, दिनेश, जियालाल, रामपाल, मनु, गिरीश, मनीष, जिंदें, योगेश, सतीश, गुलशन, राहुल, बंसीलाल, सोनू आदि उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार



शिविर में 84 लोगों के बीपी, शुगर व हीमोग्लोबिन जांच हुई।

फरीदाबाद। सर्वोदय अस्पताल सेक्टर-8 के सहयोग से मानव सेवा समिति ने रविवार को मानव भवन सेक्टर-10 में कमर दर्द का कारण और निदान विषय पर स्वास्थ्य चर्चा आयोजित की। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर में 84 लोगों के बीपी, शुगर व हीमोग्लोबिन की निःशुल्क जांच करके उचित परामर्श दिया गया। कैंप में डॉक्टर कमल वर्मा डॉक्टर न्यूरो सर्जन ने बताया कि ऑफिस में काम के दौर तक एक ही स्थिति में बैक्टर या ज्यादा देर तक खड़े होकर कार्य करने से मासपरेशियों या लिंगामेंट में खिचाब हो जाता है, जो कमर दर्द का कारण बताते हैं। खानपान में पोषक तत्वों की कमी हड्डियों को कमजोर बना देती है। इससे भी कमर दर्द हो जाता है। यह रोग होने पर कुछ दिन पूरी तरह से आराम करना चाहिए, लाइक स्टाइल में परिवर्तन करना चाहिए। सुबह-सुबह सेर करके व्यायाम जरूर करना चाहिए। पिछरे भी दर्द रहे तो न्यूरो सर्जन डॉक्टर द्वारा इलाज करना चाहिए। 90 प्रतिशत कमरदर्द बिना किसी संर्जरी और डॉक्टरी इलाज से ठीक हो जाता है। शिविर के आयोजन में प्राविंदे जिंदें तरह से उचित परामर्श दिया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष कलम वर्ताला शमा, चैयरमैन अरुण बाजाज, कोषाण्यक रामेश, गोवर्धन कमल से अध्यक्षता लेता है। इसके बाद विपिन, सतीश, मनीष, जिंदें, योगेश, सतीश, गुलशन, राहुल, बंसीलाल, सोनू आदि उपस्थित रहे।

योग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा



विजेताओं को सम्मानित करते अंतिथ व आयोजक।

पलवल। भारतीय विद्यालय शिक्षा संविधान के आर्टिकल 21ए के तहत छह वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की मांग करता है और यदि सरकार के द्वारा हासारी मांग पूरी नहीं की जाती तो जल्द ही हम पंजाब में संवर्धित स्कूल करके स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाकर सीबीएसई में व्याचिका दायर करेंगे। इसका भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद पुरजोर लिए हम सभी तर, मन और धन से सहयोग करेंगे।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरीब छात्रों से भी फीस ली जा रही है, उसे तकलीफ दूर करने के उपरान्त निःशुल्क विद्यालय शिक्षा परिषद करता है।

अरोड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा जो संस्कृति मॉडल स्कूलों में गरी

छतीसगढ़ में शराब विक्री में महा भ्रष्टाचार

भाषा | रायपुर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में बेची गई शशाब की हर बोतल पर अवैध रूप से धन एकत्रित किया गया और रायपुर महापौर एजाज थेबर के बड़े भाई अनवर थेबर की अगुवाई वाले शशाब सिंडिकेट द्वारा दो हजार करोड़ रुपए के अभूतपूर्व बघ्यचार और धनशोधन के सबूत एकत्रित किए गए हैं।

ईडी ने कहा- हर बोतल से पैसे बनाए गए



प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की हर बोतल पर अवैध रूप से धन एकत्रित किया गया और रायपुर महापौर एजाज डेबर के बड़े भाई अनवर डेबर की अगुवाई वाले शराब सिंडिकेट द्वारा दो हजार करोड़ रुपए के अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और धनशोधन के सबूत एकत्रित किए गए हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अनवर डेबर को संधीय एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपाराधिक धाराओं के तहत शनिवार तड़के रायपुर के एक होटल से तब गिरफ्तार किया, जब वह पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे थे। विशेष पीएमएलए अदालत ने बाद में उन्हें चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया जबकि उनके बकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवाकिल के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है और वे इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का सुख करेंगे। एजेंसी ने कहा कि अनवर डेबर सात बार तलब किए जाने के बावजूद मामले की जांच में शामिल नहीं हुए और आरोप लगाया कि वह लगातार बेनामी सिम कार्ड और इंटरनेट डॉगल का उपयोग कर रहे थे, और अपना ठिकाना बदल रहे थे। एजाज डेबर छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता माने जाने जाते हैं। ईडी ने आरोप लगाया है, जांच में पाया गया कि अनवर डेबर के नेतृत्व में एक संगठित आपाराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था। अनवर डेबर एक आम नागरिक हैं लेकिन वह उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्राधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों की ओर से पैसे लेते थे। ईडी ने आरोप लगाया, उन्होंने एक व्यापक साजिश रखी और घोटाले को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों इकाइयों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया ताकि छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली शराब की प्रत्यक्ष बोतल से अवैध रूप से धन एकत्रित किया जा सके। इसने कहा कि मार्च में गयपर

में अनवर ढेबर के आवासीय परिसरों सहित 2019-2022 के बीच दो हजार करोड़ रुपए छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 35 के अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और धनशोधन के स्थानों पर छापे मारे गए थे और इस दौरान सबूत मिले। ईडी ने आरोप लगाया कि

अनवर ढेबर इस पूरे अवैध धन संग्रह के जिम्मेदार थे, लेकिन वह इस घोटाले अंतिम लाभार्थी नहीं हैं। उसने दावा किया है कि वह बात सामने आई कि एकत्रित राशि कुछ हिस्सा अपने पास रखकर रोशनी अपने राजनीतिक आकाऊं को दे दिया था। एजेंसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब व्यापार के सभी पहलुओं पर सखारा का नियंत्रण है यानी शराब खरीद से लेकर खुदरा बिक्री तक सकारा के हाथ में है किसी भी निजी दुकान की अनुमति नहीं वहीं अनवर ढेबर की हिरासत के शनिवार को रायपुर की विशेष पीएमएस अदालत में दायर किए गए अपनी अज्ञानी इडी ने दावा किया कि एक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया गया जिसमें राज्य के उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। इडी ने अपना लगाया है कि भारतीय प्रशासनिक

(आईएस) के अधिकारी अनिल टुरेज शराब कारोबारी अनवर ढेर के साथ छत्तीसगढ़ में अवैध शराब सिंडिकेट द्वारा सरगना हैं और भ्रष्टाचार से अर्जित रकम का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में भी किया गया। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि उसका जांच में यह भी सामने आया है कि 2018 से 2022 के बीच राज्य में बिकी कुल शराब में से 30 से 40 फीसदी शराब अवैध थी और इस कृत्य से 1200-1500 करोड़ रुपये का अवैध लाभ उत्पन्न हुआ।

हृदयबाद। छत्तीसगढ़ का सामा से सट तेलंगाना के भद्राद्री-कोठागुडेम जिले के बन क्षेत्र में रविवार को पुलिस ने मुठभेड़ में दो माओवादियों को मार गिराया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, ऐसी पुख्ता सूचना मिली थी कि पुलिस पर हमला करने के इशारे से प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की एक टीम पुट्टपड़ु बन की ओर जा रही है, जिसके आधार पर विशेष पुलिस दल ने इलाके की घेरबंदी की, तभी माओवादियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि पुलिसकर्मियों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में तलाश अभियान चलाया और इस दौरान घटनास्थल से दो माओवादियों के शव बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि मारे गए माओवादियों में से एक की पहचान चरला एलओएस (लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्याउड) के कमांडर गुजेश के तौर पर हुई है।

भाजपा ने यौन शोषण के आरोपों पर पंजाब के मंत्री का इस्तीफा मांगा

नई दिल्ली। भाजपा ने परिवार को पंजाब के मंत्री लालचंद कटारुचक के तत्काल इस्टीफे और उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने द्वारा भेजे गए पत्र के बाद शुक्रवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें कटारुचक पर लगे आरोपों पर रिपोर्ट सौंपें के लिए कहा गया है। पीड़ित ने मंत्री पर उसे और उसके परिवार को धमकी देने का भी आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह यौन शोषण, यौन दुराचारी व्यवहार, अच्याशी और सबसे बढ़कर नैतिक अधमता तथा निम्नतम स्तर तक नैतिक पतन की एक भयानक कहानी है।

मंत्री पर पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए पूनावाला ने यहाँ की बातों के बारे में यह कहा:

लड़के का शोषण किया है। उन्होंने कहा, हम मंत्री के तत्काल इस्टीफे और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, जिसमें राज्य सरकार की कोई धूमिका न हो। पूनावाला ने कहा कि कटारुचक पंजाब सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत करीबी संबंध हैं। उन्होंने कहा, जब तक कटारुचक पंजाब सरकार में मंत्री हैं, तब तक उनके खिलाफ लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। पूनावाला ने दावा किया कि पीड़ित के जीवन को खतरा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पीड़ित के पत्र का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा था कि कटारुचक ने पीड़ित से कथित तौर पर 2013-14 में फेसबुक पर दोस्ती का अनुरोध भेजकर संपर्क किया था और जब उसने इसे स्वीकार कर लिया तो कटारुचक ने उसे बोला भाजपा विधायक।

हा एक कठिनाईक न एक दालत उसके कराब आना शुरू कर दिया। स्पष्ट मुख्यमन्त्रा मान का भज दा है।

एनजीटी ने उप्र आवास विकास परिषद और तीन कंपनियों पर 50 करोड़ जुर्माना लगाया

अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश (उप्र) के गाजियाबाद जिले में पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने को लेकर उप्र आवास एवं विकास परिषद (यूपीएवीपी) और रियल एस्टेट क्षेत्र की तीन निजी कंपनियों पर कुल 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिकरण का यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चार परियोजनाओं के विकासकर्ता पर्यावरण से जुड़े नियमों का उलंघन कर रहे हैं। याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, प्रतीक रियलट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड और गौर एंड संस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद में निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें यह उल्लंघन हुआ। याचिका

नियमों के प्रमुख उल्लंघनों में वृक्षारोपण और मल-जल शोधन संयंत्रों की अपर्याप्ति शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लगातार नुकसान हो रहा है। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने दलीलों और संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर चिचार किया। अधिकरण ने पूर्व में समिति का गठन किया था, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गाजियाबाद जिला मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया था। पीठ ने कहा, हमने पाया कि प्रदूषकों द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने के सिद्धांत के आधार पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। इसके अलावा मुआवजे की राशि का उपयोग पर्यावरण को दुरुस्त करने में उपयुक्त रूप से किया जाए।

पीठ में न्यायिक सदस्य विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने कहा, यूपीएवीपी ने 1,844 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्षा (ईडल्यूप्स) आवास का निर्माण करके इनकी बिक्री की है। 1,376 आवास कांशीराम योजना के तहत हैं तथा 1,292 आवास गंगा, यमुना और हिंडन अपार्टमेंट योजना में हैं। उक्त योजनाओं में से किसी में जल-मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) नहीं हैं। पीठ ने हरित पेटी की अपर्याप्तता, जल-मल शोधन संयंत्र का अभाव और धूल प्रदूषण को नहीं रोकने को लेकर यूपीएवीपी पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं, अधिकरण ने प्रतीक रियलटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड और गौर एंड संस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 10-10 करोड़ रुपए का (प्रत्येक पर) जुर्माना लगाया।

अगले लोकसभा चुनाव में मजबूत क्षेत्रीय दलों का करें समर्थनः अब्दुल्ला ने विपक्ष से कहा

अब्दुल्ला ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुकाबले के लिए एक के खिलाफ एक (संयुक्त उम्मीदवार) को उतारने की रणनीति का विचार देते हुए रविवार को कहा कि मुख्य विपक्षी दलों को मजबूत क्षेत्रीय दलों का समर्थन करना चाहिए। पचासी वर्षीय अब्दुल्ला ने कहा, मैं विपक्ष की एकता को लेकर आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है कि राज्य अब मायने रखते हैं और सभी विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भजबूत हैं, तो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता के लिए बाधा उत्पन्न करने के बजाय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अच्छा प्रदर्शन करें। इसी तरह, बिहार में नीतीश (कुमार की जदयू) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद), यदि वे अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए अड़ंगा नहीं खड़ा करें। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अच्छा कर रहे हैं, तो हम ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें। अब्दुल्ला ने पीटीआई-भाषा से कहा, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि यदि आप वास्तव में उन्हें (भाजपा) हरणा चाहते हैं, तो एक के मुकाबले एक (संयुक्त उम्मीदवार) होना चाहिए। जहां कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीत सकता है, वहां दूसरे को खड़ा नहीं करें। जहां दूसरी पार्टी जीत सकती है, तो वहां उस पार्टी को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का मौका दें। यह वास्तव में उन्हें उनके खेल में मात देने का एक तरीका है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इस दृष्टिकोण का सुझाव विपक्षी नेताओं को दिया है, नेशनल कॉर्झेंस प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि वे इस पर विचार करेंगे। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके और श्रीनगर से मौजूदा लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुर्घटनाओं के बारे में भी बात की।

गोवा में दो नगर निकायों के चुनाव में भाजपा

समर्थित उम्मीदवारों ने भारी जीत हासिल की पणजी। गोवा में दो नगर निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित उम्मीदवारों ने बहुसंख्यक सीटों पर जीत हासिल की। इन चुनाव के परिणाम रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए गए। पौंडा और संकेलिम नगरपालिका परिषदों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव पार्टी आधार पर नहीं लड़े गए, लेकिन भाजपा समर्थित पैनल ने दोनों नगरपालिका परिषदों में चुनाव लड़ने वाले कुछ उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा समर्थित पैनल ने संकेलिम नगरपालिका परिषद की 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस से संबद्ध एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता सावंत उत्तरी गोवा जिले के संकेलिम से विधायक हैं। पौंडा नगरपालिका परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 15 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की,

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੁੜੀ ਨਦੀ ਮੈਂ ਜਲਦ ਬਹੁਗਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਨੀ

क गूरुवर्णन। परिव न 163
 किलोमीटर लंबी पवित्र काली ब्रेई
 नदी को साफ करने का मिशन करीब
 23 साल पहले नामुमकिन लग रहा
 था लेकिन यह अब जल्द ही हकीकत
 बनने जा रहा है। पर्यावरणविद और
 सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ने
 कहा कि सिख धर्म के संस्थापक
 गुरुनाक देव के जीवन से जुड़ी नदी
 को साफ करने का 90 फीसदी काम
 पूरा चुका है और नवंबर तक इसमें
 साफ जल का प्रवाह होगा। साल
 2000 में सीचेवाल की ओर से शुरू
 किए गए नदी पुनरुद्धार मिशन से
 पहले यह नदी एक नाले में तब्दील
 हो चुकी थी और शहरों तथा गांवों का
 अपशिष्ट पानी इसमें छोड़ा जा रहा
 था। सिखों का मानना है कि गुरु



और इस नदी में स्नान करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह 165 किलोमीटर लंबी नदी होशियारपुर जिले में धनोआ गांव से निकलती है और कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में फतेवाल गांव के पास ब्यास नदी में मिलती है। राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सदस्य सीचवाल ने कहा कि नदी के पुनरुद्धार का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि आठ गांवों- होशियारपुर जिले के परोज,

त्रिनगरी, तालपटा, दादरा और हमीरपुर तथा कूपरथला के चनचाक, डोगरावाल, नानकपुर और सैदे भुलाना से सीधर के पानी को नदी में जाने से रोकने पर काम किया जा रहा है। दस्या, टांडा, भोलाथ, बोगवाल, सुल्तानपुर लोधी और कूपूरथला में पवित्र नदी में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए छह जलमल शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगाए गए हैं। सैदे भुलाना में एसटीपी लगाने का कार्य प्रगति पर है। सीधेवाल ने लोगों के सहयोग से नदी की सफाई का अभियान शुरू किया था। उनके प्रयासों को व्यापक रूप से मान्यता मिली और दिवंगत ग्राफ्टिप्पति एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी सराहना की थी तथा 2006 में उनके काम को देखने के लिए यहां उनके गांव का दौरा किया था।

किया था, चार सदस्यों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दल-बदल विरोधी कानून के तहत राज्यसभा में भी सदस्यों ने अपनी सदस्यता गंवाई। इनमें मुफ्ती मोहम्मद सईद (1989), सत्यपाल मलिक (1989), शरद यादव (2017) और अली अनवर (2017) शामिल हैं। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता शिवू सोरेन और समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्य जया बच्चन को क्रमशः 2001 और 2006 में लाभ का पद संभालने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सोरेन जहां झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष थे, वहीं जया बच्चन उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष थीं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की अध्यक्ष के लाभ का पद धारण करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अयोग्यता संबंधी याचिका निष्फल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इसीपा दे दिया था। बार काऊंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य असवाल ने कहा कि संभावित राजनीतिक उथल-पुथल से बचने के लिए, संसद (निरहूता निवारण) अधिनियम, 1959 को 2006 में 4 अप्रैल, 1959 से पूर्व प्रभाव के साथ संशोधित किया गया था और इसी तरह की याचिकाएं निष्फल हो गईं। लिली थॉमस मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय ने कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया कि कोई भी दोषपसंद्धि जिसमें दो साल या उससे अधिक की सजा हो, निर्वाचित प्रतिनिधि स्वतः ही सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा। असवाल ने कहा, लोकसभा सचिवालय को केवल एक अधिसूचना जारी करके रिक्ति को अधिसूचित करना होता है ताकि निर्वाचन आयोग उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सके। फैसले के परिणामस्वरूप, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, रशीद मसूद को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उच्च सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद और जनता दल (यूनाइटेड) सदस्य जगदीश शर्मा को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

संत ने की लिंगायतों के लिए
आरक्षण बढ़ाने, अल्पसंख्यक
का दर्जा दिए जाने की वकालत

बेलगावी (भाषा) । कुदालसंगम पंचमसाली पीठ के संत बसवजया मृत्युंजय स्वामी ने कहा कि वह लिंगायत समुदाय के लिए आरक्षण में बुद्धि किए जाने पर जोर देंगे, भले ही 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार (2013 से 2018) ने केंद्र से जैन और बौद्ध धर्म की तर्ज पर लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को न तो स्वीकार किया और न ही खारिज किया। संत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि लिंगायतों को अलग अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 3बी से 2ए में शक्तिशाली लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े उप-संप्रदाय पंचमशालियों के वर्गीकरण की मांग को लेकर 32 महीने तक चले अंदोलन का नेतृत्व किया था। चूंकि 2ए के तहत यह वर्गीकरण करना संभव नहीं था, इसलिए बोम्बई सरकार ने एक नई 2डी श्रेणी बनाई और दो प्रतिशत अधिक आरक्षण प्रदान किया, जिससे लिंगायतों के लिए कुल आरक्षण सात प्रतिशत हो गया। इस्यु में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर ओबीसी की चार श्रेणियां-2ए, 2बी, 3ए और 3बी हैं। इन समुदायों को श्रेणियों के आधार पर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। 2ए में सर्वार्थिक पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रवाहान है, जबकि 2बी मध्यम, और उससे थोड़ा ऊपर 3ए तथा 3बी हैं। कर्नाटक में लिंगायतों की आबादी कीरीब 17 फौसदी है। एक साक्षात्कार में मृत्युंजय स्वामी ने कहा, वर्तमान स्थिति में, हमें कुछ न्याय मिला है। हम सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं। यह हमारे विरोध की पहली जीत है। उन्होंने कहा कि 2ए पर उच्च न्यायालय से स्थगन था, जो इस शर्त पर हटाया गया था कि इसमें और समुदायों को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए, सरकार को लिंगायतों के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने के बास्ते एक नई श्रेणी 2डी बनानी पड़ी।

1988 से अब तक 42 सदस्यों ने संसद की सदस्यता गंवाई
14वीं लोकसभा में सर्वाधिक अयोग्य ठहराए गए

नई दिल्ली। हाल में लोकसभा की सदस्यता से गहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने के बाद एक अधिनियम के प्रवधान सुरियों में आ गए हैं, जिसके तहत 1988 से अब तक 42 सांसद सदस्यता गंवा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा सदस्य 14वीं लोकसभा में अयोग्य करार दिए गए। प्रश्न पूछने के बदले धन लेने के मामले और क्रॉस वॉर्टिंग के संबंध में 19 सांसदों को अयोग्य करार दिया गया। सांसदों को राजनीतिक पाला बदलने, सांसद के तौर पर अशोभनीय आचरण करने तथा दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराएँ जाने समेत विभिन्न आधारों पर अयोग्य करार दिया गया है। हालिया समय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता मोहम्मद फैजल पी पी, और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता अफजल अंसरी को अदालतों द्वारा उनकी दोषसिद्धि के बाद दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा के कारण अयोग्य करार दिया गया। इन्हें जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रवधानों के तहत अयोग्य ठहराया गया। जन प्रतिनिधित्व कानून किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराएँ जाने और दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाएँ जाने पर सांसदों और विधायिकों की स्वतः अयोग्यता से संबंधित है। लोकसभा में लक्ष्यट्रॉप का प्रतिनिधित्व करने वाले फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा के बाद सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा रद्द किए जाने के बाद सदस्यता बहाल कर दी गई। गांधी ने मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में गहर पाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रख दिया है। सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

वर्ष 1985 में दल-बदल विरोधी कानून लागू होने के बाद लोकसभा की सदस्यता से सबसे पहले कांग्रेस के लालदुहोमा को अयोग्य करार दिया गया था, जिन्होंने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मिजो नेशनल यूनियन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस पार्टी का गठन लालदुहोमा ने ही किया था।

